FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

अदालत..मुकाम..

हनुमानराम वगैरा बनाम मालूराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 116 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/6/2020	**प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री** सुमेरसिंह चौधरी **ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा** 111, 128 **राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक** 24/6/2020 **को पेश हो।** [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु 16.6.2020	
24/06/2020	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी विभाग कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/07/2020 को पेश हो।	
27/07/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या- 3 की ओर से वकील श्री कपिल चौधरी द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 22/09/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:11:28 IST
Reason: SelfAttested

22/09/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित व विप्रार्थी संख्या-1 वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत पास-पास आये हुए हैं। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत के मध्य जो पुरानी मेड़ व डोले आये हुए थे जो आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जिस कारण प्रार्थी की पत्थरबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरबन्दी आदेश किया जावे। जबकि विप्रार्थी संख्या-3 के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी के सीमा मेड़ विप्रार्थी संख्या-1 से 3 का खातेदारी खेत आया हुआ है। जिसकी पूर्व में माननीय न्यायालय के आदेश से दिनांक 31/12/2018 को की जा चुकी है। तथा पत्थर स्थापित किये जाकर तारबन्दी की हुई है। जिस कारण प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या-1 से 3 के बीच कोई किसी प्रकार का सीमा को लेकर विवाद नहीं है। यदि प्रार्थी के खेतों की पत्थरबन्दी की जाती है तो विप्रार्थी संख्या-1 से 3 के सीमा को छोड़कर पत्थरबन्दी की जावे। हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-1 से 3 के खेतों के मध्य पत्थरबन्दी हो रखी है लेकिन अन्य सीमा पड़ोसियों व प्रार्थी के खेतों के मध्य पत्थरबन्दी नहीं की गई है। इसलिए प्रार्थी को अपने खेतों की पत्थरबन्दी करवानी आवश्यक है।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नापासर को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पत्थरबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर [illegible] कोमल कुमार हो, दर्ज नम्बर से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:11:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO)

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

आवेदन / 2020 / 657

आवेदन संख्या –116 / 2020

दिनांक :– 22/09/2020

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
श्री हडुमानराम पुत्र विरधाराम वगैरा 17 जाति–जाट निवासी–नवलदेव छतरी, चौखला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर	श्री भारूराम पुत्र मानाराम वगैरा 21, जाति–रापजूत, निवासी–नवलदेव छतरी, चौखला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–नवलदेव छतरी, पटवार मण्डल–चौखला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 19, 683 / 20, 685 / 20, 21 रकबा क्रमशः 0.1375, 22.1019, 0.1942, 2.6454 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। आवश्यक होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
सहायक कलेक्टर बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक :– 22/09/2020

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 658-662

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री हडुमानराम पुत्र विरधाराम वगैरा 17।
4. विप्रार्थीगण श्री भारूराम पुत्र मानाराम वगैरा 21।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:11:28 IST
Reason: SelfAttested